

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमिलेख वाद संख्या—139/20-21(ग्री)

दिनांक
3/9/2020

आदेश फलक

अभियुक्ति

वाद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3—खा०म०नि०ति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूरआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि—

मौजा—वैजाली अर्ज थाना नं०- १८। खाता संख्या— १९ प्लॉट संख्या— ५७ रकबा— ३० एकड़ की भूमि जो गैरमजरूरआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या— १ के पृष्ठ संख्या— ८८ पर जमाबंदी रैयत सुलैमान अंसारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अमिलेख दिनांक— 19/9/2020 को उपस्थापित करें।

(B)
03/09/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

6/9/20
19

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संदिग्ध/संदेहास्पद जमावंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

सुरक्षा अधिकारी का नाम ५३ मियां

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमावंदी ईयत का नाम :-
2. जमावंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

कौन्जा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बेनागार	181	19	57	3090-

3. जमावंदी पंजी-II के जिल्ड संख्या १ पृष्ठ सं० ७७ पर कायम है -

4. जमावंदी किस वर्ष कायम है -

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद मायां

6. किस संघर्ष प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमावंदी कायम की गई है :- गैर

7. यदि संदेहास्पद जमावंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमावंदी ईयत का नाम :- गैर आवाद

8. मूल जमावंदी कायम लिए जाने का आधार (अनिवार्य सादा हुक्मनामा/लगान निर्धारण/जर्वेध भूदोषस्ती) - गैर वंदोपरत १४(VIII) १९९९-२०००

9. संदेहास्पद जमावंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जनीलार द्वारा दाखिल रिटर्न/वंदोपरती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) - गैर वंदोपरत ५(VII)-२

कै अंडुसार

10. संदेहास्पद जमावंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

द्रूप संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
१.	७९९५८३६	७.६.२०००	२०००-०१.

अंडुअंडी, गोविन्दपुर
मंडाश्वर

आवादित श्रिंग माँज बेनागार घाना से १४ रकवा १९

लो ८७५७ रकवा ३०९० व्यापारित गैर आवाद पंजी के अंडुसार गैर
आवाद रकाता नहीं है (उक्त जमावंदी के प्रधिकार कालम गैर-वंदोपरत १४(VIII)
१९९९-२००० द्वारा १५ अगस्त २००० के तक लगान अद्यता निर्गत होने का विवाद है)
प्रथम हुए छा उक्त जमावंदी व्यापारित प्रतीत होता है।
लाल
R.A.V.M.